मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// अधिसूचना //

क्रमांक एफ ए 3-28/2017/1/पांच (67)

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2018

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 7 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-28/2017/1/ पांच(48) दिनांक 30 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

- (i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;
- (ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अरूण परमार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

Government of Madhya Pradesh Commercial Taxes Department Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal

Notification

No. F. A 3-28/2017/11 (67)

Bhopal, dated A. July, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA-3-28/2017/1/FIVE(48) dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) after the words "State Government", the words "or Union territory" shall be inserted;
- (ii) after the word "Constitution" the words "or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.
- 2. This notification shall come into force on the 27th of July, 2018.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh

Deputy Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department